2019 का विधेयक संख्यांक 102

[कंपनी (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019

कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 135 का संशोधन।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 135 में,—

(*क*) उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु यह कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण और सिफारिश करते समय, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित अनुसूची सात की प्रविष्टि (एक), (दो), (दो क), (चार) और (पाँच) में उल्लिखित क्रियाकलापों को कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यय में प्राथमिकता दी जाएगी;'';

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

''(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर होने वाली व्यय राशि की प्राथमिकता के आधार पर सिफारिश करना, और कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का कम-से-कम साठ प्रतिशत व्यय अनुसूची सात की प्रविष्टि (एक), (दो), (दो क), (चार) और (पाँच) में उल्लिखित स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलापों पर किया जाएगा;''

(ख) उप-धारा 4 में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में अनुसूची सात की प्रविष्टि (एक), (दो), (दो क), (चार) और (पाँच) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के कम-से-कम साठ प्रतिशत के प्राथमिकता व्यय का उपबंध होगा;'';

(ग) उपधारा (5) में, दूसरे परन्तुक और तत्संबंधी स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक और तत्संबंधी स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु इसके अतिरिक्त कंपनी स्वास्थ्य और देशी भाषाओं में शिक्षा पर व्यय सहित अनुसूची सात की प्रविष्टि (एक), (दो), (दो क), (चार) और (पाँच) में उल्लिखित क्रियाकलापों पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निर्धारित राशि का कम-से-कम साठ प्रतिशत राशि व्यय करेगी;

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों हेतु—

(क) ''निवल लाभ'' में यथानिर्धारित राशियां सम्मिलित नहीं होंगी और इसकी गणना धारा 198 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी; और

(ख) ''देशी भाषाओं में शिक्षा पर व्यय'' से स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का संवर्धन करने हेतु निवेश अभिप्रेत है।''।

अनुसूची सात का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की अनुसूची सात में,—

(क) प्रविष्टि (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि तथा तत्संबंधी स्पष्टीकरण अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(दो क) देशी भाषाओं में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का संवर्धन।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, ''देशी भाषाओं'' से कोई स्थानीय भाषा अभिप्रेत होगी, जिसमें कम-से-कम पचास विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है; और''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 350क विशेष निदेशों के अंतर्गत राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों को निदेश देता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधा प्रदान की जाए। इसमें कहा गया है कि 'प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है'।

अत: यह सरकार का दायित्व तथा बच्चे का अधिकार है कि उसे राज्य में प्रचलित स्थानीय भाषा तथा देशी भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, जब तक कि उसकी पर्याप्त मांग हो। 1948 से गठित विभिन्न शिक्षा आयोगों ने मातृभाषा में बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझा है। उदाहरण के लिए, राज्य के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन (1948) में सिफारिश की गई थी कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर विद्यालयों में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने से बच्चों के शिक्षण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में यूनेस्को के शोध अध्ययन में पता चला है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा से विशेषकर भाषाई अल्पसंख्यकों, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तथा बालिकाओं को लाभ हुआ है। ऐसे मामलों में, बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाले (ड्राप आउट) बच्चों की संख्या कम हुई तथा बेहतर शिक्षा-प्राप्ति के परिणाम सामने आए हैं। 2002 में एक अन्य शोध अध्ययन के अनुसार जब बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है तो अपने बच्चों की शिक्षा प्रक्रिया में माता-पिता के भाग लेने तथा अध्यापकों से संवाद करने की अधिक संभावना होती है।

एक अन्य शोध बताता है कि जब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होती है तो दूसरी भाषा सीखने की बच्चे की क्षमता प्रभावित नहीं होती। दूसरी ओर अध्ययनों ने यह स्थापित किया है कि मातृभाषा में साक्षरता से कोई दूसरी भाषा सीखने की सुदृढ़ भाषाई तथा संज्ञानात्मक आधारशिला तैयार होती है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के इस महत्व के बावजूद कुल कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय में से स्वास्थ्य एवं शिक्षा हेतु निर्धारित व्यय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। 2014-15 में सीएसआर व्यय की केवल अठारह प्रतिशत राशि स्वास्थ्य परिचर्या पर तथा केवल छब्बीस प्रतिशत शिक्षा पर खर्च की गई, जिससे विकास क्षेत्र में लगभग चवालीस प्रतिशत व्यय हुआ। अगले दो वित्तीय वर्षों में, स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर सीएसआर संबंधी व्यय बढ़कर लगभग चवालीस प्रतिशत से अड़तालीस प्रतिशत रहा।

अत: इस विधेयक का आशय निम्नलिखित के दृष्टिगत कंपनी अधिनियम, 2013 का संशोधन करना है:

(क) मातृभाषा में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करना;

(ख) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में स्वास्थ्य तथा शिक्षा हेतु कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए नियत की गई राशि का कम से कम साठ प्रतिशत प्राथमिकता आधार पर खर्च करने का प्रावधान करना; और

(ग) कम-से-कम पचास विद्यार्थियों द्वारा मांग किये जाने पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को स्थानीय भाषाओं में पढ़ाये जाने हेतु कंपनियों द्वारा खर्च का प्रावधान किया जाना।

अत: यह विधेयक कंपनियों को अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय हेतु प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए कंपनियों को अधिदेश देकर स्वास्थ्यचर्या सेवाओं की उपलब्धता, स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा, भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करता है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
6 जून, 2019

सुप्रिया सुले

उपाबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 से उद्धरण

** ** ** **

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व।

135. (1) ** ** **

(2) ** ** ** **

(3) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति,—

(क) एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति विरचित करेगी, जो अनुसूची 7 में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा किए गए या किए जाने वाले कार्यकलाप या कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत होने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करेगी; और

** ** ** **

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड—

(क) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अनुमोदित करेगा और अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की अन्तर्वस्तुएं प्रकट करेगा और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए उसे कंपनी की वेबसाइट पर भी, यदि कोई हो, रखेगा; और

** ** ** **

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम दो प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में खर्च करती है:

परंतु कंपनी अपने आस-पास के ऐसे स्थानीय क्षेत्र और क्षेत्रों को, जहां वह क्रियाशील है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों के लिए चिह्नित रकम को खर्च करने में अधिमान देगी:

परंतु यह और कि यदि कंपनी ऐसी रकम खर्च करने में असफल रहती है तो बोर्ड धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ण) के अधीन तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में, रकम खर्च न करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''औसत शुद्ध लाभ'' की संगणना धारा 198 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

* * * *

अनुसूची 7

(धारा 135 देखिए)

वे क्रियाकलाप जिन्हें कंपनियों द्वारा अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति क्रियाकलापों में शामिल किया जा सकेगा—

(i) अति भुखमरी और गरीबी उन्मूलन;

(ii) शिक्षा का संवर्धन;

* * * *

लोक सभा

———

कंपनी अधिनियम, 2013 का और
संशोधन करने के लिए
विधेयक

———

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

MGIPMRND—587LS(S3)—03-07-2019.